

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / विकास / २०२५/८४

रीवा दिनांक : ७-२-२०२५

प्रति,

आध्यक्ष / प्राचार्य
यनुना प्रसाद शास्त्री महाविद्यालय
सेमरिया, जिला रीवा (म.प्र.)

विषय - अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2023-2024 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 01-11-2023 के आइटम क्रमांक 3(12) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2023-2024 कक्षा / विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -


क्र.	कक्षा / विषय
1	एम.ए. पूर्वार्द्ध / उत्तरार्द्ध - समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति, भूगोल, संस्कृत, हिन्दी -60-80सीट।
2	बी.एस.सी. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष - आधार पाठ्यक्रम, वनस्पति, भौतिकी, रसायन, प्राणिविज्ञान, गणित, (अतिरिक्त विषय) कम्प्यूटर साइंस-350।
3	बी.लिब.-60सीट।
4	बी.ए. प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष - उर्दू-60-80सीट।
5	बी.काम. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष-कम्प्यूटर एप्लीकेशन (अतिरिक्त विषय)-160सीट।
6	एम.एस.डब्ल्यू. पूर्वार्द्ध / उत्तरार्द्ध-75सीट।
7	पी.जी.डी.सी.ए.-75सीट।
8	बी.सी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष - समस्त अनिवार्य विषय-60सीट।
9	एम.एस.सी. पूर्वार्द्ध / उत्तरार्द्ध - रसायनशास्त्र -50सीट।

नोट -

- कालेज कोड 28 के अन्तर्गत प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति करें।
- प्रयोगशालाओं को व्यवस्थित करें।
- पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या विषयदार बढ़ायें।
- सी.डी. महाविद्यालय की भी लगायें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर आवश्यक रूप से पूर्ण कर 100=00 रुपये के रसायन पर शापथपत्र दिया जाय कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य है, अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2024-2025 से छात्रों का प्रवेश हन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार,

 कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

- परीक्षा नियंत्रक, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
- सहायक कुलसचिव-परीक्षा, गोपनीय।
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
- कुलपति जी के सचिव / कुलसचिव के निज सहायक।

